न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 44/2021

1 नोपाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी तन टोंक छीलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मूलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी तन टोंक छीलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 16.04.2021 बअदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ़ जिला झुंझुनू पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस. मुकदमा बउनवानी मूलाराम बनाम नोपाराम मुकदमा नम्बर 09/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद राज सैनी,अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 10.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी पटवार हल्का टोंक छीलरी तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन हाल खसरा नम्बर 234 का खातेदार रेस्पोडेंट नम्बर 1 मूलाराम है। जमीन हाल खसरा नम्बर 234 के पूर्व दिशा मे सटकर जमीन हाल खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढ़ाणी स्थित है। खसरा नम्बर 232 का खातेदार अपीलांट नोपाराम है रेस्पोडेंट नम्बर 1 मूलाराम ने जमीन हाल खसरा नम्बर 234 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 232 मे से 15 फिट कटानी बाबत अदालत मातहत के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 16.04.2021 को निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचाराधीन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ से सहायक कलेक्टर नवलगढ़ में स्थानान्तरित होने पर अपीलांट की सुनवाई करे बिना, अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की उपलब्ध है। विधि अनुसार आई. एल.आर. से नीचे के अधिकारी की रिपोर्ट धारा 251ए में मान्य नही है। इस मौका रिपोर्ट में भी वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख है। विचारण न्यायालय ने

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायलय के निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा संख्या 5 में स्पष्ट रूप से एकपक्षीय कार्यवाही करने का विवरण अंकित है। खसरा नम्बर 207 (कटानी रास्ता) खसरा नम्बर 215 तक आकर बन्द हो जाता है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील मियाद बाहर है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचाराधीन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ से सहायक कलेक्टर नवलगढ़ में स्थानान्तरित होने पर अपीलांट की सुनवाई करे बिना, अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली मे मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की उपलब्ध है। विधि अनुसार आई.एल.आर. से नीचे के अधिकारी की रिपोर्ट धारा 251ए में मान्य नही है। इस मौका रिपोर्ट में भी वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सक्षम स्तर से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर